

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर - 130/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1- लक्ष्मण पुत्र नाथु जाट निवासी डोडवानिया का खेड़ा तहसील बनेड़ा

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1- रामेश्वर लाल पिता गोकुल बलाई निवासी डोडवानिया का खेड़ा तहसील बनेड़ा
- 2-3 हरिलाल, छगना पिता लादु जाट निवासी डोडवानिया का खेड़ा तहसील बनेड़ा
- 4- जसराज पिता रामजस जाट निवासी डोडवानिया का खेड़ा तहसील बनेड़ा
- 5-6 नारायण, माधु पिता लादु जाट निवासी डोडवानिया का खेड़ा तहसील बनेड़ा
- 7- शंकर पिता रामचन्द्र जाट निवासी डोडवानिया का खेड़ा तहसील बनेड़ा
- 8- सुरेश पिता सुखा जाट निवासी डोडवानिया का खेड़ा तहसील बनेड़ा
- 9- अजीज खां पिता सुल्तान खां मंसूरी निवासी डोडवानिया का खेड़ा तहसील बनेड़ा
- 10-11 जमना लाल, माधव लाल पिता सुखा जाट निवासी डोडवानिया का खेड़ा तहसील बनेड़ा
- 12- चांदी देवी पत्नी लादु जाट निवासी डोडवानिया का खेड़ा तहसील बनेड़ा
- 13- तहसीलदार बनेड़ा

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 07/09/2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम डोडवानिया का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 975, कुल किता 1 रकबा 0.0506 है० के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 ग्राम डोडवानिया का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 975, कुल किता 1 रकबा 0.0506 है० भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का रा० भिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रव० अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

38

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम डोडवानिया का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 975, कुल किता 1 रकबा 0.0506 है। भूमि सौमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक बैरा को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावे अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक बैरा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।




(अंशुल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा